

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2017

सा.का.नि.283(अ).-- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (घ) और खंड (ड) और धारा 282क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,--

(I) नियम 6घघख के उपनियम (1) में "सदस्य(एल)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "सदस्य(आयकर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(II) नियम 6घघघ के उपनियम (1) में "सदस्य(विधान)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "सदस्य (आयकर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(III) नियम 127 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"127क. सूचना और अन्य दस्तावेजों का अधिप्रमाणन-(1) अधिनियम के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में संसूचित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा,--

(क) इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् ई-मेल कहा गया है) की दशा में यदि आयकर प्राधिकारी का नाम और कार्यालय--

(i) यदि सूचना या अन्य दस्तावेज स्वयं ई-मेल बॉडी में है तो ई-मूल बॉडी पर मुद्रित है ; या

(ii) यदि सूचना या अन्य दस्तावेज, संलग्नक में है तो ई-मेल के संलग्नक पर मुद्रित है ;

और ऐसे ई-मेल को है आयकर प्राधिकारी के पदाभिहित ई-मेल पते से जारी किया गया है ।

(ख) इलैक्ट्रानिक रिकार्ड की दशा में, यदि आय-कर प्राधिकारी का नाम और कार्यालय--

(i) यदि सूचना या अन्य दस्तावेज स्वयं इलैक्ट्रानिक रिकार्ड में पाठ या टिप्पणी के रूप में अंतर्विष्ट है तो इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के एक भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया है; या

(ii) यदि सूचना या अन्य दस्तावेज संलग्नक में है तो इलैक्ट्रानिक रिकार्ड में संलग्नक पर मुद्रित है ।

और ऐसे इलैक्ट्रानिक रिकार्ड जिसे पदाभिहित वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है ।

(2) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणालियां) या महानिदेशक आयकर (प्रणालियां) आयकर प्राधिकारी के पदाभिहित ई-मेल पता, पदाभिहित वेबसाइट और संसूचना के अधिप्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा ।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए-

(i) "इलैक्ट्रानिक मेल और" इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज" पदों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 66क के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका है;

(ii) "इलैक्ट्रानिक रिकार्ड" पद का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में उसका है ।"

[अधिसूचना सं. 17/2017/एफ.सं.370142/4/2017-टीपीएल]

(डा.टी.एस.मपवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. का.आ. 117(अ) तारीख 09 फरवरी, 2017 द्वारा आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 में अंतिम संशोधन किया गया ।